df"k mit e.Mh lfefr] f'keyk ,oa fdUukSj] fLFkr <yh f'keyk&171012 ds ys[kkvksa dk vads{k.k o fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 01-04-2009 ls 31-03-2010

1 ikjfEHkd %&

¼i½ कृषि उपज मण्डी समिति, षिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली षिमला–12 के अवधि 01.04.09 से 31.03.10 के लेखाओं का अंकेक्षण श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) तथा श्री राज कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या 1–487/99–फिन(एल0ए0)खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के अनुपालना में पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

¼ii½ लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति के मुख्यालय हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी षिमला–171002 तथा मण्डी समिति के ढली स्थित कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे :–

Øe l0	inkf/kdkjh dk uke o inuke	dk;kZy; dk uke	vof/k
1	श्री राम सुभाग सिंह, आई0 ए0 एस0 अध्यक्ष	कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी, षिमला–2	01.04.2009 से 31.03.2010
2	श्री ओ0सी0 वर्मा, प्रबन्ध निदेषक	कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी, षिमला–2	01.04.09 से 08.02.2010
3	श्री ए0सी0 शांडिल, प्रबन्ध निदेषक	कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी, षिमला–2	09.02.2010 से 31.03.2010
4	श्री ज्ञान सिंह चन्देल, अध्यक्ष	कृषि उपज मण्डी समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला–12	01.04.09 से 31.03.2010
5	श्री बी0एल0 शर्मा, सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला–12	01.04.2009 से 25.08.2009
6	श्री के0एल0 रतन, सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला–12	26.08.2009 से 01.03.2010

7	श्री अनिल चौहान, सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला–12	02.03.2010 से 31.03.2010

¼iii½ e.Mh lfefr dh vk; o O;; dk L=ksr fuEu izdkj ls gS %&

(1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत दोषी व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय तथा मण्डी समिति द्वारा स्थापित धर्मकांटे पर तुलाई शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(3) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

(4) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

(5) विनियमित मण्डी ढली के मुख्य द्वार से प्रवेश पर ट्रकों व अन्य वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(6) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) के अर्न्तगत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

कृषि उपज मण्डी समिति षिमला का कार्यक्षेत्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात जिला षिमला व जिला किन्नौर है, इस समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े इन दो जिलों के व्यापारियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है जैसा कि निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता है :–

Øe la[;k	vof/k	d`f"k mit ls tqM+s mu O;kikfj;ksa dh la[;k tks d`f"k mit e.Mh lfefr f'keyk o fdUukSj ls iathd`r gS

1	मण्डी समिति के अस्तित्व में आने से 31.03.2001 तक	629
2	01.04.2001 से 31.03.2002 तक	539
3	01.04.2002 से 31.03.2003 तक	682
4	01.04.2003 से 31.03.2004 तक	637
5	01.04.2004 से 31.03.2005 तक	716
6	01.04.2005 से 31.03.2006 तक	637
7	01.04.2006 से 31.03.2007 तक	599
8	01.04.2007 से 31.03.2008 तक	511
9	01.04.2008 से 31.03.2009 तक	478
10	01.04.2009 से 31.03.2010 तक	504

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, षिमला एवं किन्नौर कार्यालय कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के पंजीकरण के सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है क्योंकि यदि किसी वर्ष मण्डी समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है तो आगामी वर्ष में इस संख्या में कभी भी आई है, जैसे कि वर्ष 2008–09 में इस संख्या में बाकी वर्षों की तुलना में भारी कमी आई है। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाया जाता रहा है।

अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवम् विपणन समिति प्राधिकारियो द्वारा विषेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवष्यकता है, ताकि इस सन्दर्भ में सार्थक प्रगति होने के फलस्वरूप मण्डी समिति की आय में बढौतरी सुनिष्चित की जा सके।

¼**iv**½ O;; %&

कृषि उपज मण्डी समिति, षिमला एवं किन्नौर द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :–

(1) मानदेय, वेतन, मजदूरी तथा अन्य विभिन्न भत्तों पर व्यय तथा कार्यालय व्यय।

(2) कार्यालय मषीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(3) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(4) डिपोज़िट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों, विभिन्न सम्पर्क मार्गों व खच्चर मार्गों के निर्माण में संलिप्त व्यय।

(5) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

(6) हिमाचल प्रदेश सरकार को अंकेक्षण सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के एवज़ में देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

(7) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण षिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

(8) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अर्न्तगत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अर्न्तगत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिषत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में सलिप्त व्यय।

(9) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।

1 o"kZ 2009&10 ds nkSjku fMikWft+V dk;Z ds fo:) dk"k mit e.Mh lfefr }kjk fufeZr lEidZ ekxZ o vU; fuekZ.k dk;Z ij O;; %&

अंकेक्षण द्वारा पत्र संख्या 161, दिनांक 04.02.2011 तथा स्मरण पत्र संख्या 205, दिनांक 21.04.2011 के अर्न्तगत मण्डी समिति कार्यालय से वर्ष 2009–10 के दौरान मण्डी समिति कार्यालय द्वारा डिपोज़िट कार्य के विरूद्ध निर्मित सम्पर्क मार्ग, तथा अन्य विविध निर्माण कार्यों की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उनके पत्र संख्या ए0पी0एम0सी0/एस0एम0एल0/डिपोजिट वर्क/लिंक रोड/2011–562, दिनांक 17.06.2011 द्वारा डिपोज़िट कार्य के विरूद्ध निर्मित सम्पर्क मार्गों व अन्य विविध निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है। जिसके अनुसार सम्पर्क मार्गों पर ₹5,55,000.00/– तथा अन्य विविध निर्माण कार्यों पर ₹1,69,97,735.00 (कुल ₹1,75,47,735.00) का व्यय किया गया दर्षाया गया है। जबकि अंकेक्षण में वर्ष 2009–10 के दौरान पारित बिलों के अनुसार यह राषि ₹1,68,32,956/– बनती हैं। इस प्रकार मण्डी समिति कार्यालय द्वारा यह व्यय ₹1,64,779/–अधिक दर्षाया गया है, जिस बारे अंकेक्षण को अभिलेख सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा लेखों में उचित सुधार किया जाए।

Hkkx&nks

2 orZeku vadsa{k.k %&

कृषि उपज समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला–12 के अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 तक के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री राज कुमार शर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए हैं।

3 ys[kk ijh{kk 'kqYd %&

वर्ष 2009–10 का कुल अंकेक्षण शुल्क ₹7,98,693.00 आंका गया तथा अंकेक्षण शुल्क की राशि कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय द्वारा चैक संख्या 002492, दिनांक 29.11.2010 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–9 के मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

4 lgk;rk vuqnku %&

अंकेक्षण द्वारा पत्र संख्या 161, दिनांक 04.02.2011 तथा स्मरण पत्र संख्या 205, दिनांक 21.05.2011 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय से सहायता अनुदान के सन्दर्भ में अपेक्षित सूचनाऐं अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उनके पत्र संख्याः ए0पी0एम0सी0/एस0एम0एल–डिपोजिट वर्क/लिन्क रोड/2011–562, दिनांक 17.06.11 द्वारा यह सूचित किया है कि दिनांक 21.12.2009 को उप मण्डी समिति रोहडू के निर्माण हेतु ₹25,55,000.00 तथा दिनांक 22.04.2009 को फल मण्डी भट्ठाकुफर के निर्माण हेतु ₹60,07,000.00 का केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है।

5 ¼d½ o"kZ 2009&10 ds okf"kZd ys[ks %&

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखे मै0 डी0वी0 चावला एण्ड कम्पनी, चार्टर अकाऊंटैंट से तैयार करवाए गए हैं तथा उक्त लेखों की सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति षिमला व किन्नौर द्वारा जारी प्रति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा अनुलग्नक ''ए'' पर संलग्न है। इन प्राप्त लेखों को अंकेक्षण द्वारा विधिवत संविक्षा के उपरान्त मण्डी समिति कार्यालय को अंकेक्षण के पत्र संख्या 238, दिनांक 09.06.2011 द्वारा जारी किया गया था। प्रस्तुत अभिलेखों के अधिकतर मदों में चार्टड अकाऊॅटैंट द्वारा तैयार किए गए लेखों व कार्यालय अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.03.2010 के शेषों के आंकड़ों में भिन्नताएं पाई गई हैं। लेकिन चार्टड अकाऊंटैंट द्वारा शेषों के आंकड़ों में भिन्नताओं के संषोधनोपरान्त संषोधित वार्षिक लेखे मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं

किए हैं। मण्डी समिति के वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण की मदवार विविक्षा टिप्पाणियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा अनुलग्नक ''बी'' पर संलग्न है।

¼[k½ e.Mh lfefr dh o"k 2009&10 dh foÙkh; fLFkfr ½&

अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय से अंकेक्षण के पत्र संख्या 161, दिनांक 04.02.2011 तथा स्मरण पत्र संख्या 205, दिनांक 21.04.2011 द्वारा मण्डी समिति की वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि इसे सत्यापनोंपरान्त तदानुसार रिपोर्ट में समाविष्ट किया जा सके, परन्तु रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण उक्त वित्तीय स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं की जा सकी।

¼x½ fuos'k ½&

विपणन समिति द्वारा दिनांक 31.03.2010 तक परिषिष्ट ''क'' के अनुसार ₹17,87,35,485/– की राषि विभिन्न बैंकों में सावधिक जमा योजना के अर्न्तगत निवेष की गई है। इन निवेषों की संवीक्षा करने पर पाया गया कि अन्य बैंकों की तुलना में हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक द्वारा सावधिक जमा पर अधिक ब्याज दिया जा रहा है। इस प्रकार विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा अन्य बैंकों में कम ब्याज दर पर राषियाँ निवेष करने पर निष्चित रूप से समिति को ब्याज की हानि हो रही है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि प्रदेष सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेषों तथा ब्याज की समुचित दर के दृष्टिगत भविष्य हेतु हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक में सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेष किया जाना सुनिष्चित किया जाए या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दर की प्रतिस्पर्धा का लाभ सुनिष्चित किया जाए ताकि विपणन समिति का किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। उपरोक्त समस्त निवेषित राषि को समय–समय पर परिपक्वता पर पुर्ननिवेष व रोकड़ बही में ब्याज सहित लेखांकन भी सुनिष्चित किया जाए अन्यथा किसी प्रकार की कोताही बरतने पर चूककर्त्ता के विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। यह मामला प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड, षिमला–2 के विषेष ध्यान में समूचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

6 jkf'k ₹84]000-00 dk lek;ktu u djuk ½&

मण्डी समिति षिमला व किन्नौर स्थित ढली षिमला–12 के अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों को कार्यालय के विभिन्न उदेष्यों हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार वर्ष 2009–10 की समाप्ति तक अग्रिम राशि भुगतान की गई थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति तक इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया है। अतः निम्न समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्रातिषीघ्र करना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

v l ek;kftr vLFkkbZ vfxze dk vof/k 31-03-2010 rd dk fooj.k

Ø0 l0	deZpkjh dk uke	vfxze fcy l0	fnukad	jkf'k
1	श्री शक्त राम कष्यप	337	02-02-2001	35,000.00
		57	04-05-2001	4,000.00
2	श्री मनोहर लाल शाक्या	313	05-02-2010	15,000.00
3	श्री सुषील कुमार	325	20-02-2010	20,000.00
4	श्री अरविन्द जे0ई0	144	01-09-2009	5,000.00
5	श्री हेम राज ठाकुर	357	17-03-2009	1,000.00
6	श्री प्रेम लाल शर्मा	286	14-01-2010	2,000.00
		361	30-03-2010	2,000.00
			G. Total	**₹84,000.00**

मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम में असमायोजित अग्रिम राशि के विगत वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है :–

Øe la[;k	o"kZ	deZpkfj;ksa ds uke vlek;ksftr dh jkf'k
1	2002–03	राशि ₹11,10,768.00
2	2003–04	राशि ₹9,71,986.00
3	2004–05	राशि ₹9,04,560.00
4	2005–06	राशि ₹7,37,170.00
5	2006–07	राशि ₹7,39,670.00
6	2007–08	राशि ₹2,93,160.00

7	2008–09	राशि ₹1,31,500.00
8	2009–10	राषि ₹84,000.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहां वर्ष 2009–10 में असमायोजित अग्रिमों में कमी दर्ज हुई है, वहीं क्रम संख्या 1 पर दर्षाए श्री शक्त राम कष्यप के नाम वर्ष 2001 से 31.03.2010 की अवधि तक दो अग्रिम असमायोजित ही पड़े हैं। अतः उपरोक्त लम्बित अग्रिमों को शीध्र समायोजित कर अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

vk; Hkkx

7 jkf'k ₹09]70]983-00 ls vf/kd dh nqdkuksa ds fdjk, dh jkf'k dh 'ks"k olwyh ¼&

कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि यथा पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''क–2'' विभिन्न आबंटियों से ₹09,70,983.00 से अधिक की राशि दिनांक 31.03.2010 तक वसूली योग्य शेष थी। विगत वर्षों मे विभिन्न आबंटियों से वसूली हेतु शेष किराए का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

Øe l0	frfFk ftl fnu fdjk, dh olwyh 'ks"k Fkh	olwyh ;kX; fdjk, dh jkf'k
1	31.03.2001	राशि ₹5,84,234.00
2	31.03.2002	राशि ₹8,88,557.34
3	31.03.2003	राशि ₹9,99,428.84
4	31.03.2004	राशि ₹11,42,191.84
5	31.03.2005	राशि ₹13,87,495.34
6	31.03.2006	राशि ₹13,98,938.34
7	31.03.2007	राशि ₹14,90,935.34
8	31.03.2008	राशि ₹17,95,635.34
9	31.03.2009	राशि ₹10,26,556.00
10	31.03.2010	राषि ₹9,70,983.00

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली के सन्दर्भ में कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय से प्रकरण वर्ष 2000–01 से वर्ष 2008–09 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी उठाया गया था किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विषेष सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है, जैसा कि उपरोक्त तालिका से भी स्पष्ट हो जाता है।

अतः किराए की शेष वसूली के अतिरिक्त आगामी समय में सभी दुकानों के आबंटियो से शर्तें निर्धारित करते हुए समय पर किराए की वसूली सुनिष्चित की जानी अपेक्षित है अन्यथा नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि मण्डी समिति को कथित राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचा जा सके।

8 ykbZlUl/kkfj;ksa }kjk O;kikj 'kwU; n'kkZuk %&

निम्नलिखित व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों ने उनके नाम के विरूद्ध दर्षाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्षाया है जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बन्धित 'एम' फार्म के अवलोकन से विदित होता है।

Øe l0	QeZ dk uke@fooj.k	vof/k ftlesa O;kikj 'kwU; n'kkZ;k x;k gS
1	मैं0 गौरव फ्रूट कम्पनी, ढली, षिमला–12	19.11.2009 से 24.03.2010
2	मैं0 सी0जे0 फ्रूट कम्पनी ढली, षिमला–12	01.12.2009 से 21.03.2010
3	मैं0 नरेष कुमार कैलाष चन्द	21.11.2009 से 28.03.2010
4	मैं0 बूटा राम राठौर, ढली, षिमला–12	03.12.2009 से 21.03.2010
5	मैं0 केला भण्डार, शॉप नं0–12	01.04.2009 से 20.07.2009 01.08.2009 से 20.10.2009 19.11.2009 से 31.03.2010
6	मैं0 जय माता देसू, शॉप नम्बर–29	20.11.2009 से 20.03.2010
7	मैं0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	09.03.2010 से 15.03.2010
8	मैं0 के0एन0 इन्टरप्राईजिज, ढली	04.12.2009 से 14.03.2010
9	मैं0 राजषाह सुषील कुमार एण्ड कम्पनी, ढली, षिमला–12	22.11.2009 से 15.03.2010
10	मैं0 निषान्त फ्रूट कम्पनी, ढली, षिमला–12	20.11.2009 से 15.03.2010
11	मैं0 ज्ञान सिंह एण्ड सन्ज	26.11.2009 से 20.03.2010
12	मैं0 रूपा मल सीता राम ट्रेडिंग कम्पनी ढली, षिमला–12	27.01.2010 से 05.02.2010
13	मैं0 ओम प्रकाष, दिनेष कुमार, ढली, षिमला–12	01.12.2009 से 08.03.2010

14	मैं0 रूपा मल सीता राम ट्रेडिंग कम्पनी, ढली षिमला–12	0212.2009 से 15.03.2010
15	मैं0 षिमला बैजिटेबल कम्पनी	10.11.2009 से 20.03.2010
16	मैं0 माँ हाटेष्वरी ट्रेडिंग कम्पनी षिमला	28.11.2009 से 14.03.2010
17	मैं0 एम0 ट्रेडिंग कम्पनी, ढली, षिमला–12	13.11.2009 से 20.03.2010
18	मैं0 पी0आर0जे0 ट्रेडिंग कम्पनी, ढली षिमला–12	14.11.2009 से 22.03.2010
19	मैं0 रावत फ्रूट कम्पनी, ढली षिमला–12	16.04.2009 से 15.05.2009 01.06.2009 से 15.06.2009 14.10.2009 से 31.03.2010
20	मैं0 माँ हाटेष्वरी ट्रेडिंग कम्पनी षिमला	20.11.2009 से 15.03.2010
21	मैं0 जे0पी0 ट्रेडिंग कम्पनी ढली षिमला	01.04.2009 से 17.06.2009
22	मैं0 पी0 कृष्णा कुमार, ढली	21.07.2009 से 31.03.2010
23	मैं0 साहनी ट्रेडिंग कम्पनी	17.11.2009 से 09.03.2010
24	मैं0 चौहान ब्रदर्ज, ढली	03.10.2009 से 31.03.2010
25	मैं0 नरेष ट्रेडर्ज ढली	19.10.2009 से 31.03.2010
26	मैं0 दिनेष कुमार एण्ड कम्पनी	01.04.2009 से 26.10.2009 04.11.2009 से 08.03.2010
27	मैं0 मुनीष वैजीटेबल कम्पनी	01.04.2009 से 31.07.2009 01.10.2009 से 31.03.2010
28	मैं0 शर्मा ब्रदर्ज ट्रेडर्ज, ढली षिमला–12	24.11.2009 से 15.03.2010
29	मैं0 विकास फ्रूट कम्पनी, ढली, षिमला–12	22.11.2009 से 15.03.2010
30	मैं0 दीपक ट्रेडिंग कम्पनी षिमला	11.09.2009 से 21.09.2009 01.04.2009 से 16.07.2009 26.10.2009 से 04.03.2010
31	मैं0 सन्ता फ्रूट कम्पनी षिमला	01.04.2009 से 07.07.2009
32	मैं0 कुषांग ट्रेडिंग, ढली षिमला	01.04.2009 से 09.05.2009

		22.10.2009 से 31.03.2010
33	मैं0 बाला जी ट्रेडिंग ढली, षिमला–12	16.11.2009 से 31.03.2010
34	मैं0 सी0जे0आर0 गोमती प्रसाद	01.12.2009 से 31.03.2010
35	मै0 प्रताप सिंह सुनील कुमार	30.11.2009 से 31.03.2010
36	मैं0 खन्ना फ्रूट कम्पनी, ढली षिमला–12	14.10.2009 से 17.12.2009 12.10.2009 से 31.03.2010
37	मैं0 मन्सा राम सुदर्षन कुमार अनाज मण्डी षिमला	15.11.2009 से 31.12.2009
38	मैं0 भगवान जनरल स्टोर अनाज मण्डी षिमला	01.07.2009 से 31.07.2009
39	मै0 मूल चन्द एण्ड सन्ज अनाज मण्डी षिमला	01.02.2010 से 28.02.2010
40	मैं0 काहन चन्द एण्ड सन्ज	01.09.2009 से 30.09.2009
41	मै0 करता राम, अमरजीत गंज रोड षिमला	01.04.2009 से 31.03.2009
42	मैं0 मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी अनाज मण्डी षिमला	01.08.2009 से 31.08.2009
43	मैं0 न्यू चण्डीगढ़ बुडवर्क डकोलर रामपुर	13.12.2009 से 31.03.2010
44	मैं0 चमन लाल एण्ड ब्रदर्ज रचोली रामपुर	15.12.2009 से 15.01.2010
45	मैं0 मैहता ब्रदर्ज, बधाल षिमला	01.01.2010 से 31.03.2010
46	मैं0 चमन लाल इन्डस्ट्रीज रचोली	15.12.2009 से 31.03.2010
47	मैं0 दूनी चन्द फ्रूट सप्लायर सराहन	18.03.2010 से 31.03.2010
48	मैं0 डी0एम0 फोरेस्ट बर्किंग डिवीजन रामपुर	01.01.2010 से 15.01.2010
49	मैं0 सोनू फ्रूट एण्ड बैजिटेवल शॉप सराहन	13.12.2009 से 20.02.2010
50	मैं0 परस राम वर्मा एण्ड सन्ज ठियोग	01.08.2009 से 31.03.2010
51	मैं0 जिया लाल शर्मा एण्ड सन्ज ठियोग	01.08.2009 से 31.03.2010
52	मैं0 शर्मा ब्रदर्ज ट्रेडर्ज ठियोग	21.11.2009 से 24.03.2010
53	मैं0 मदन ट्रेडिंग कम्पनी ठियोग	07.08.2009 से 17.08.2009 24.08.2009 से 29.08.2009 03.09.2009 से 19.09.2009

		22.09.2009 से 28.09.2009
		04.10.2009 से 18.10.2009
		23.10.2009 से 29.10.2009
		04.07.2009 से 11.07.2009
54	मैं0 राम लाल शर्मा ठियोग	01.04.2009 से 20.05.2009
		16.11.2009 से 31.04.2010
55	मैं0 षिव राम शर्मा एण्ड सन्ज ठियोग	08.01.2010 से 28.02.2010
56	मैं0 श्याम ट्रेडिंग कम्पनी फागू ठियोग	01.04.2009 से 04.05.2009
57	मैं0 अदानी एग्रो फ्रैष विथल सैंज	01.04.2009 से 19.08.2009
		21.10.2009 से 31.03.2010
58	मैं0 पदम देव सब्जी मण्डी ठियोग	01.09.2009 से 31.03.2010
59	मैं0 तिलक राज एण्ड सन्ज ठियोग	01.04.2009 से 30.04.2009
		01.12.2009 से 31.01.2010
60	मैं0 संजीव शर्मा, सब्जी मण्डी ठियोग	01.04.2009 से 14.06.2009
61	मैं0 केषव राम हेटा एण्ड संज, ठियोग	01.04.2009 से 14.04.2009
		01.08.2009 से 21.09.2009
		07.11.2009 से 31.03.2010
62	मैं0 अत्तर सिंह शॉप नम्बर 7, ठियोग	01.04.2009 से 11.04.2009
		13.04.2009 से 27.04.2009
		01.05.2009 से 31.05.2009
		05.07.2009 से 11.07.2009
		24.08.2009 से 29.08.2009
63	मैं0 विनोद ट्रेडिंग कम्पनी फागू	01.10.2009 से 31.03.2010

उपरोक्त प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आष्य की पुष्टि नहीं की गई है कि उपरोक्त अवधि में 'षून्य' दर्षाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, जिससे यह संषय होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण पर किसी प्रभावषाली नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण की बजाय व्यापारियों द्वारा ''एम'' फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है, जो उचित प्रक्रिया नहीं है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि सुनिष्चित की जाए व किन्हीं व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतू टाल–मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में नियमों/अधिनियमों में प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। यह प्रकरण प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड षिमला–2 के विषेष ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतू लाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के संपरीक्षा सुझाव गत प्रतिवेदनों में शामिल करने के उपरान्त इन प्रकरणों में आज दिन तक कोई कार्रवाई/अनुपालना नहीं की गई है जो स्वतः ही विपणन समिति के हित में नहीं है।

9 e.Mh 'kYd dh olwyh u djus ds dkj.k C;kt ds :i esa e.Mh lfefr dks gkfu %&

मण्डी समिति की वर्ष 2009–10 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित 41 व्यापारी जोकि मण्डी समिति के लाईसैंस धारक है, उनके नामों के विरूद्ध दर्षाई गई अवधियों में कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 45(2) एवं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2005 के नियम 35 के अर्न्तगत सभी लाईसैंस धारकों को प्रतिदिन क्रय–विक्रय के सम्बन्ध मे ''एम फार्म'' प्रस्तुत करना तथा 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क अदा करना अनिवार्य है।

Øe l0	QeZ dk fooj.k	lfEefyr vof/k ftldk e.Mh 'kqYd izkIr ugha gqvk gS
1	मैं0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, ढली षिमला–12	03.12.2009 से 08.03.2010
2	मैं0 हाटेष्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, ढली षिमला–12	27.04.2009 से 08.06.2009
3	मै0 सूद एण्ड कम्पनी, अनाज मण्डी	01.04.2009 से 16.03.2010
4	मैं0 रिखी राम, अमर नाथ लोअर बाजार षिमला	17.01.2010 से 31.03.2010
5	मैं0 चिरंजी लाल, फकरी चन्द, गंज बाजार षिमला	01.04.2009 से 31.03.2010
6	मै0 परमा नन्द जागेष्वर दास लोअर बाजार षिमला	01.04.2009 से 31.03.2010
7	मैं0 रौनक ट्रेडिंग गंज बाजार षिमला	01.04.2009 से 30.06.2010
8	मैं0 दयाल स्टोरर्ज, अनाज मण्डी षिमला	01.01.2010 से 31.01.2010
9	मैं0 दीपक आषीष कम्पनी प्राईवेट	01.04.2009 से 11.06.2009

10	मैं0 नारायण दास यषपाल सब्जी मण्डी, षिमला	01.04.2009 से 24.07.2009
11	मैं0 हीरा लाल सालिग राम गंज बाजार षिमला	01.04.2009 से 31.03.2010
12	मैं0 भगवती उद्योग, अनाज मण्डी षिमला	01.04.2009 से 15.11.2009
13	मैं0 गोपाल संज, अनाज मण्डी षिमला	01.04.2009 से 31.03.2010
14	मैं0 गौरी शंकर, रजनीष कुमार अनाज मण्डी षिमला	01.01.2010 से 28.02.2010
15	मैं0 पुरी एजैन्सी 36/05, गंज बाजार षिमला	01.04.2009 से 31.03.2010
16	मैं0 षिव नन्द राम चन्द अनाज मण्डी षिमला	01.04.2009 से 31.03.2010
17	मैं0 आज्ञा राम, राम चन्द लोअर बाजार षिमला	01.04.2009 से 08.07.2009
18	मैं0 मूल चन्द, चून्नी लाल अनाज मण्डी षिमला	16.07.2009 से 06.10.2009 01.03.2010 से 31.03.2010
19	मैं0 षिव शक्ति ट्रेडर्ज बसंतपुर	01.01.2010 से 31.03.2010
20	मैं0 किरपा राम, दलीप कुमार रामपुर	01.04.2009 से 31.10.2009
21	मैं0 महावीर फ्रूट एण्ड बैज शॉप रामपुर	01.11.2009 से 31.03.2010
22	मैं0 श्याम तनबर मीट शॉप रामपुर	12.11.2009 से 31.03.2010
23	मैं0 शर्मा क्लाथ हाऊस रामपुर	01.04.2009 से 31.03.2010
24	मैं0 डी0एम0 फोरेस्ट वर्किंग डिवीजन रामपुर	01.09.2009 से 31.12.2009
25	मैं0 अषोक कुमार चियोग	01.04.2009 से 31.03.2010
26	मैं0 सुरेष कुमार वर्मा ठियोग	01.09.2009 से 31.03.2010
27	मैं0 मदन ट्रेडिंग कम्पनी ठियोग	01.11.2009 से 31.03.2010
28	मैं0 चमन लाल, नवीन कुमार सैंज ठियोग	06.10.2009 से 31.03.2010
29	मैं0 जय माँ देसू टिम्बर फागू	25.10.2009 से 31.03.2010
30	मैं0 परमा नन्द एण्ड सन्ज सब्जी मण्डी ठियोग	01.09.2009 से 31.03.2010
31	मैं0 षिव शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी	01.04.2009 से 31.03.2010
32	मैं0 तारा दत्त शर्मा सब्जी मण्डी ठियोग	01.04.2009 से 31.03.2010

33	मैं0 शर्मा फ्रूट कम्पनी ठियोग	01.04.2009 से 31.05.2009 01.10.2009 से 31.03.2010
34	मैं0 रामा नन्द वर्मा एण्ड संज ठियोग	01.04.2009 से 31.05.2009 01.09.2009 से 31.03.2010
35	मैं0 संजीव शर्मा, सब्जी मण्डी ठियोग	21.01.2009 से 31.03.2010
36	मैं0 विनोद कुमार वैज0 एण्ड फ्रूट शॉप चियोग	09.07.2009 से 31.03.2010
37	मैं0 चरणजीत सिंह प्रेमघाट ठियोग	01.11.209 से 31.03.2010
38	मैं0 अत्तर सिंह, शॉप नम्बर 7 ठियोग	16.11.2009 से 31.03.2010
39	मैं0 शोभा देवी एण्ड संज ठियोग	01.07.2009 से 31.03.2010
40	मैं0 देव भूमि कोल्ड चैन लिमिटेड मतियाना	24.10.2009 से 31.03.2010
41	मैं0 राजेष शर्मा शॉप नम्बर–2–3, ठियोग	09.12.2009 से 31.03.2010

उपरोक्त प्रकरणों में जहाँ मण्डी शुल्क की वसूली समय पर न किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई तथा अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2009–10 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में कमी आई है, जैसे कि वर्ष 2007–08 में इन प्रकरण की संख्या 199 थी। अतः इस सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिष्चित की जाए जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना होगी वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को समय पर मण्डी शुल्क की वसूली होने से मण्डी शुल्क एवं उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा जा सकेगा।

10 ykbl l l/kkjh 0;kikfj;k l n; e.Mh 'kYd l de olyh fd, tku d QyLo:i e.Mh lfefr dk lEHkkfor gkfu %&

मण्डी समिति के व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ व्यापारियों के नामों के विरूद्ध दर्षाई गई अवधियों में मण्डी शुल्क देय शुल्क से कम वसूला गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

Ø0 l0	Qel dk uke	n; e.Mh 'kYd	tek fd;k x;k 'kYd	jlhn l0@ fnukd ftl }kjk olyh dh xb	de tek fd;k x;k e.Mh 'kYd
1	मैं0 रावत फ्रूट कं0 ढली	₹12,996.00 ₹16,128.00	₹12,720.00 ₹15,509.00	49964／31.08.09 49997／18.09.09	₹276.00 ₹619.00

2	मैं0 विकास फ्रूट कम्पनी ढली	₹48,152.00	₹48,052.00	90031/08.10.09	₹100.00
3	मैं0 रिखी राम अमरनाथ लोअर बाजार	₹706.00	₹697.00	94043/27.02.10	₹9.00
				dqy ;ksx	₹1]004-00

उपरोक्त प्रकरणों में जहाँ मण्डी शुल्क की वसूली देय शुल्क से ₹1004/– कम जमा किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई है वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। अतः ऐसे प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाए जाते हैं कि लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी समिति अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क की वसूली सुनिष्चित की जाए जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना के साथ–साथ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की पूर्ण वसूली होने से मण्डी शुल्क एवं उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा जा सके।

11 fofHkUu O;kikfj;ksa }kjk dbZ&dbZ eghuksa dk e.Mh 'kqYd ,d lkFk tek djus ds QyLo:Ik e.Mh lfefr dks C;kt ds :i esa yk[kksa :i;s dh lEHkkfor gkfu

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के साथ पंजीकृत सभी व्यापारियों को क्रय–विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन 'एम' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदानुसार 14 दिन के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है। किन्तु मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त नियमानुसार होने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है वह भी कई कई महीनों की एक साथ। कई प्रकरण तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पूरे साल का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया है जैसा कि परिशिष्ट ''ख'' पर दिए गए विवरण से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक–एक व्यापारी से लाखों रुपये कई–कई महीनों तक वसूली हेतु शेष रहते हैं, जिस कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की अप्रत्याषित हानि का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यदि उक्त मण्डी शुल्क समय पर अर्थात कई कई महीनों तथा वर्ष भर का इकटठा न वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती।

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आषय के साथ लाया जाता है कि विलम्ब से मण्डी शुल्क जमा करने की परिस्थिति में इसे सम्बन्धित व्यापारियों से नियमों/अधिनियमों के प्रावधानानुसार दण्ड सहित वसूला जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

12 ukdk pkSdh ckyxat] ujhiqy] ckuhiqy rFkk dMMh eq xkj ykbZlsal /kkjh O;kikfj;ksa ls dEikÅaM 'kqYd dh ₹51]706@&dh de olwyh ds dkj.k e.Mh lfefr dks lEHkkfor gkfu ¼&

मण्डी समिति द्वारा स्थापित नाका चौकी बालूगंज की अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इस नाका चौकी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्योनिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुरूप न करने के परिणामस्वरूप यथा विवरण परिषिष्ट ''ग'' (i),(ii),(iii),(iv) के अनुसार क्रमषः ₹35,409/–, ₹13,817/–, ₹1,995/–, तथा ₹485/– अर्थात कुल ₹51,706/–के कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को निष्चित तौर पर हानि हुई है जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। ऐसे प्रकरण अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2001–02 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों से लेकर वर्ष 2008–09 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से भी मण्डी समिति कार्यालय के ध्यानार्थ लाए गए थे लेकिन इस सन्दर्भ में वर्ष 2008–09 के दौरान कुछ सुधार तो हुआ है वहीं वर्ष 2009–10 में फिर से यह राषि ₹51,706/–तक जा पहुंची है। जिससे यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय इस प्रकार की हानि/दुर्विनियोजन पर अंकुष लगाने तथा मण्डी समिति को हानि से रोकने हेतु गम्भीर नहीं है।

अतः इस प्रकरण में भविष्य हेतु विषेष गौर करने की आवष्यकता है। विगत वर्षों में मण्डी समिति को हुई इस प्रकार हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

Øe la[;k	vof/k ftlesa dEikÅaM 'kqYd olwyk x;k	de olwyk x;k dEikÅaM 'kqYd
1	01.04.2001 से 31.03.2002	₹10,21,801/–
2	01.04.2002 से 31.03.2003	₹1,33,618/–
3	01.04.2003 से 31.03.2004	₹3,186/–
4	01.04.2004 से 31.03.2005	₹15,680/–
5	01.04.2005 से 31.03.2006	₹21,310/–
6	01.04.2006 से 31.03.2007	₹2,65,376/–
7	01.04.2007 से 31.03.2008	₹63,278/–

8	01.04.2008 से 31.03.2009	₹2,346/–
9	01.04.2009 से 31.03.2010	₹51,706/–

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहां 2002–03 के उपरान्त इस प्रकार की हानि में कमी आई है वहीं वर्ष 2006–07 व 2007–08 तथा 2009–10 में इस प्रकार की हानि में अत्यन्त वृद्धि हुई है अतः ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति आन्तरिक जाँच/नियन्त्रण के माध्यम से रोकना सुनिष्चित किया जाए ताकि मण्डी समिति को उक्त प्रकार से हो रही हानि से बचाया जा सके।

13 fofHkUu O;kikfj;ksa ls e.Mh 'kqYd ns; frfFk ij olwyu dh vis{kk vR;Ur foyEc ls olwyu ds dkj.k e.Mh lfefr dks C;kt ds :Ik esa yk[kksa #i;ksa dh lEHkkfor gkfu %&

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के साथ पंजीकृत सभी व्यापारियों को क्रय–विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन 'एम' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदानुसार 14 दिन के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है। किन्तु मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त नियमानुसार होने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है। जैसा कि परिषिष्ट ''घ'' पर दिए गए विवरण से भी स्पष्ट होता है। उक्त परिषिष्ट से स्वतः स्पष्ट होता है कि मण्डी शूल्क की वसूली षिमला स्थित व्यापारियों से भी 6 माह से अधिक समय के पष्चात की गई है। इस प्रकार एक–एक व्यापारी से लाखों रुपये कई–कई महीनों तक वसूली योग्य शेष होने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में परोक्ष रूप से लाखों रुपयों की अप्रत्याषित हानि हुई है, क्योंकि यदि उक्त मण्डी शुल्क समय पर वसूला गया होता तो संलिप्त राषियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती।

इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ वर्ष 2001–02 से लेकर 2008–09 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाए जा चुके हैं। किन्तु इस सन्दर्भ में कोई सार्थक परिणाम न होने के कारण यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आषय के साथ लाया जाता है कि मण्डी शुल्क की वसूली/एकत्रीकरण समय पर सुनिष्चित किया जाए तथा विलम्ब की स्थिति में समस्त संलिप्त मामलों में यथा प्रावधानानुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथाषीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति से निष्चित तौर पर परिहार किया जाए अन्यथा संपरीक्षा का औचित्य ही निष्फल होता है।

14 dEikÅM 'kYd oly djr g, jlhn cqdk e oLrq dk uke] iek=k o eY; n'kk, fcuk gh dEikÅM 'kYd dh olyh djuk ¼&

नाकाचौकी बालूगंज, नेरीपुल व कुडडू की वर्ष 2009—10 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि नाकाचौकियों पर गैरलाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क वसूल करते हुए यथाविवरण परिषिष्ट ''ङ'' (i) तथा (ii) के अनुसार जो कम्पाऊंड शुल्क वसूल किया गया है उन रसीद बुकों में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क की न तो वस्तु की प्रमात्रा का जिक्र है और न ही वस्तु का मुल्य दर्षाया गया है। इसके कई प्रकरणों में तो यह भी नहीं दर्षाया गया है कि कम्पाऊंड शुल्क किस वस्तु पर लिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए उपरोक्त कम्पाऊंड शुल्क की प्रमाणिकता संदेहास्पद होने के साथ साथ इसकी वैद्यता पर भी प्रष्न चिन्ह से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः अनियमितता का उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ नाकाचौकियों में तैनात कर्मचारियों के कार्यों का पर्यावेक्षण प्रभावषाली ढंग से सुनिष्चित किए जाने के उद्देष्य से लाया जाता है ताकि ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण अंकुष लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि नाकाचौकियों में कार्यरत कर्मचारियों को उक्त सन्दर्भ में विषेष प्रषिक्षण दिया जाए ताकि कार्यषैली में सुधार आ जाए।

15 ukdkpkdh ckyxt l ikIr vk; dh jkf'k e l ₹888@&dh jkf'k cd e de tek djuk ¼&

नाकाचौकी बालूगंज की वर्ष 2009—10 की रोकड़ बही व सम्बन्धित बैंक खाते की जाँच करने पर पाया गया कि नाकाचौकी बालूगंज में प्राप्त आय की वास्तविक राषि की अपेक्षा, अपेक्षित राषि से कम राषि बैंक में जमा करवाई जाती है। जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126, दिनांक 27.11.2010 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था। नौकाचौकी बालूगंज में वर्ष 2009—10 में प्राप्त आय से ₹888/—की राषि यथा विवरण परिषिष्ट ''च'' बैंक में कम जमा करवाई गई।

अतः उक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के सम्मुख नाकाचौकियों में प्रभावी नियन्त्रण/पर्यवेक्षण किए जाने हेतु लाया जाता है। उपरोक्त ₹888/—की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना से अंकेक्षण को यथासमय अवगत करवाया जाए।

0;; Hkkx

16 jkf'k ₹1]73]11]985@&dh jkf'k d mi;kfxrk iek.k&i= vkd{k.k dk iLrr u djuk ¼&

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य विभिन्न एजैन्सियों के माध्यम से डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए जाते हैं। जिसके लिए धन की व्यवस्था मण्डी समिति की निधि से की जाती है तथा यह धन मण्डी

समिति द्वारा उन विभिन्न निर्माण कार्य एजैन्सियों को हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। अतः डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए गए निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में सम्बन्धित निर्माण कार्य ऐजैंसियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। कृषि उपज मण्डी समिति षिमला एवं किन्नौर द्वारा वर्ष 2009–10 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड षिमला के पास राषियाँ जमा करवाई गई थी जिनका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''छ'' पर दिया गया है। ₹1,73,11,985/–की राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिन्हें विपणन बोर्ड कार्यालय से शीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकारण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हिमाचल प्रदेष कृषि राज्य विपणन बोर्ड डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राषि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है और न ही मण्डी कार्यालय समय–समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरान्त यथा समय अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है जैसा कि विगत कई वर्षों से हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न करना इसका उदाहरण है। विगत वर्षों से लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

Øe l0	o"k	jkf'k
1	2001–2002	₹4,28,750.00
2	2002–2003	₹3,50,000.00
3	2003–2004	–
4	2004–2005	₹49,63,400.00
5	2005–2006	₹24,00,000.00
6	2006–2007	₹87,97,000.00
7	2007–2008	₹91,97,000.00
8	2008–2009	₹92,04,600.00
9	2009–10	₹1,73,11,985.00

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्यवाही करवाए जाने के उद्देष्य से लाया जाता है।

17 **e.Mh lfefr }kjk fofHkUu cpr [kkrksa esa vR;f/kd jkf'k j[kus ds ifj.kkeLo:i e.Mh lfefr dks ikIr ;kX; C;kt dh lEHkkfor gkfu** %&

मण्डी समिति के वर्ष 2009–10 के विभिन्न बैंकों में संचालित बैंक बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बचत खातों में अनावष्यक रूप से अधिक राषि रखी जाती रही है जैसा कि नीचे दी गई तालिका पर बचत खातों में तिमाहीवार जमा राषि के आधार पर बनाए गए विस्तृत विवरण के अवलोकन से विदित होता है। जबकि इस राषि का निवेष सुगमता से सावधि जमा योजना में हो सकता था। बचत खातों में तिमाहीवार जमा राषि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe l0	frekgh	fofHkUu cSadks esa cpr [kkrks esa tek jkf'k ¼djksMksa esa½
1	31.03.09 को समाप्त तिमाही	74,34,198.00
2	30.06.09 को समाप्त तिमाही	1,66,06,211.00
3	30.09.09 को समाप्त तिमाही	2,10,77,622.00
4	31.12.09 को समाप्त तिमाही	1,72,72,814.00
5	31.03.10 को समाप्त तिमाही	49,42,662.00

उपरोक्त तिमाही बार बचत खातों में रखी गई राषि को समय–समय पर सावधि जमा योजना में निवेषित किया जाता तो मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त योग्य राषि की सम्भावित हानि नहीं होती । अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन कर चूककर्त्ता के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए हानि की भरपाई की जानी अपेक्षित है ताकि भविष्य हेतु मण्डी समिति निधि का प्रभावषाली नियन्त्रण सुनिष्चित होने के साथ–साथ प्रभावी वित्तीय प्रबन्ध भी सुनिष्चित हो सके जिससे मण्डी समिति को उपलब्ध साधनों से अधिक से अधिक आय सुनिष्चित हो सके।

18 **e.Mh lfefr }kjk fofHkUu lkof/k tekvksa dk o"kZ 2009&10 esa fgekpy ins'k jkT; lgdkjh cSadksa esa fuosf'kr u djok dj de C;kt nj ij vU; cSadksa esa fuosf'kr djus ds ifj.kkeLo:Ik ₹2]36]115@&dh gkfu** %&

मण्डी समिति के विभिन्न सावधि जमा खातों तथा हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी सरकुलर संख्या BDD/74(H)/2008, दिनांक 21.09.2008 तथा BDD/74(1)/09, Dated 13-01-09 की जाँच करने पर पाया गया है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा ग्यारह विभिन्न सावधि निवेष को हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंकों में निवेषित न कर अन्य विभिन्न बैंकों में कम ब्याज दर पर निवेषित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ₹2,36,115.00 की ब्याज के रूप में हानि हुई है जिसका विवरण यथापरिशिष्ट ''ज'' पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में गत अवधि में भी अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत आपत्ति उठाई गई थी लेकिन विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा बार–बार संपरीक्षा सुझाव की अनदेखी करके विपणन समिति को अनावष्यक रूप से हानि उठानी पड़ रही है जो निष्चित ही दुर्भाग्य पूर्ण है।

अतः इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्त्ता से हानि की भरपाई सुनिष्चित की जाए तथा मण्डी समिति निधि का प्रभावषाली नियन्त्रण करने हेतु आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ–साथ संपरीक्षा सुझाव की अनुपालना सुनिष्चित की जाए।

19 lkof/k tek fuos'k rFkk e.Mh lfefr dk;kZy; }kjk fofHkUu lkof/k tekvksa dk ifjiDork dh frfFk ij iqufuZosf'kr u dj foyEc ls fuosf'kr fd, tkus ds QyLo:i e.Mh lfefr dks C;kt ds :Ik esa ₹99]384-00 dh gkfu %&

मण्डी समिति के एफ0डी0आर0 रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति ने विभिन्न सावधि जमाओं को उनकी परिपक्वता तिथि पर पुनर्निवेष निवेषित न करके कुछ समय के अन्तराल पर निवेषित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में ₹99,384.00 की हानि उठानी पड़ी है। जिसका विवरण यथा परिषिष्ट ''झ'' पर दिया गया है। अतः इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्त्ता से हानि की भरपाई की जानी अपेक्षित है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो तथा मण्डी समिति निधि का प्रभावषाली नियन्त्रण भी सुनिष्चित होने के साथ–साथ प्रभावी वित्तीय प्रबन्ध सुनिष्चित हो सके जिससे मण्डी समिति को अधिक से अधिक आय सुनिष्चित हो सके।

20 Hkkjrh; LVsV cSad ckyqxat dh lkof/k tek la[;k 620625 dk ifjiDork ij fgekpy izns'k jkT; lgdkjh cSad ds tek [kkrk esa LFkkukUrfjr djus ij ifjiDork jkf'k ls de jkf'k tek gksus ds QyLo:i e.Mh lfefr dks ₹12]499-00 dh gkfu %&

मण्डी समिति के एफ0डी0आर0 रजिस्टर की जाँच करने पर यह पाया गया कि मण्डी समिति ने दिनांक 08. 02.2009 को भारतीय स्टेट बैंक बालूगंज में सावधि जमा संख्या 620625 में ₹2,38,17,230.00 की राषि 1 वर्ष के लिए जमा करवाई थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 08.02.2010 थी तथा इस निविषित राषि का परिपक्वता मूल्य

₹2,59,07,143/– बनता था, जिसे मण्डी समिति कार्यालय ने दिनांक 09.02.10 को हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक ढली के बचत खाता संख्याः 558 में स्थानान्तरित कर दिया लेकिन परिपक्वता की राषि ₹2,59,07,143.00 के स्थान पर ₹2,58,94,644.00 ही बचत खाते में जमा हुए है। इस प्रकार ₹12,499.00 की राषि बचत खाते में कम जमा हुई है।

अतः इस प्रकार में पूरी छानबीन कर सम्बन्धित बैंक से आवष्यक वसूली की जाए अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्त्ता कर्मचारी से हानि की भरपाई की जानी अपेक्षित है व अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण के अवगत किया जाए।

21 ;dk cd dlEiVh dh lkof/k tek l[;k 608519 dk ifjiDork ij LVV cd vkQ ifV;kyk d lkof/k [kkrk e LFkkukUrfjr dju ij ifjiDork jkf'k l de jkf'k tek gku d QyLo:i e.Mh lfefr dk ₹40]156@&dh gkfu %&

मण्डी समिति के एफ0डी0आर0 रजिस्टर की जाँच करने पर यह पाया गया कि मण्डी समिति ने दिनांक 02.11.2008 को यूको बैंक, कसुम्पटी में सावधि जमा संख्याः608519 में ₹58,72,563.00 को 1 वर्ष के लिए 10.50 प्रतिषत ब्याज पर जमा करवाई थी जिसकी परिपक्वता तिथि 02.11.2009 थी तथा इस निवेषित राषि का परिपक्वता मुल्य ₹65,13,889.00 बनता था, जिसे मण्डी समिति कार्यालय ने दिनांक 06.11.09 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सन्जौली में सावधि जमा में स्थानान्तरित कर दिया, लेकिन दिनांक 02.11.09 को परिपक्व हुई ₹65,13,889.00 की राषि के स्थान पर ₹64,73,733.00 ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सन्जौली के सावधि जमा संख्या 6507345 में जमा हुए हैं, इस प्रकार ₹40,156.00 की राषि सावधि जमा में कम जमा हुई है।

अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन कर सम्बन्धित बैंक से आवष्यक वसूली सुनिष्चित की जाए अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्त्ता कर्मचारी से हानि की भरपाई की जानी आपेक्षित है व अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

22 okgu e iVky dh [kir fu/kkfjr [kir nj l vf/kd gku d dkj.k ₹9]738-71 d iVky dk n:i;kx %&

वर्ष 2009–10 के दौरान मण्डी समिति कार्यालय में जिप्सी संख्या एच0पी0–52(ए)–0511 का प्रयोग किया गया जिसे 08.06.2005 को खरीदा गया था। उक्त वाहन की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि 01.04.09 से 31.03.10 की अवधि में इस वाहन से स्थानीय व लम्बी दूरी की यात्राओं को मिला कर भी प्रति लीटर पैट्रोल से दूरी तय करने की औसत निम्नानुसार थी :–

Øe l[;k	ekg	okgu }kjk ,d yhVj iSVªksy lr; nwjh ¼fd0eh0 esa½	fVIi.kh
1	अप्रैल, 2009	6.33	वाहन 08.06.05 को खरीदा गया है।
2	मई, 2009	7.20	
3	जून, 2009	7.60	
4	जुलाई, 2009	7.24	
5	अगस्त, 2009	8.02	
6	सितम्बर, 2009	7.36	
7	अक्तूबर, 2009	7.10	
8	नवम्बर, 2009	8	
9	दिसम्बर, 2009	7.70	
10	जनवरी, 2010	7.07	
11	फरवरी, 2010	7.59	
12	मार्च, 2010	7.73	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन द्वारा वर्ष भर में तय की गई दूरी सरकार के पत्र संख्या संयुक्त सचिव (सामान्य प्रषासन) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जी0ए0डी0–ए0(बी)1–1/96, दिनांक 21.01.1997 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जिप्सी वाहन एक लीटर पैट्रोल से स्थानीय यात्राओं में 8 कि0मी0 तथा लम्बी दूरी की यात्राओं में 9 किलोमीटर चलना अपेक्षित है तथा ऐसा न होने की अवस्था में अधिक पैट्रोल की खपत की कीमत की वसूली वाहन चला रहे चालक से की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मण्डी समिति के उपरोक्त वाहन में 01.04.09 से 31.03.10 तक निर्धारित मानकों के अनुसार दूरी तय नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि इस अवधि में पैट्रोल का दुरूपयोग हुआ है। अंकेक्षण द्वारा पैट्रोल के दुरूपयोग के प्रकरण समय–समय पर मण्डी समिति कार्यालय के ध्यानार्थ लाए गए थे लेकिन इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कृत कार्यवाही से मण्डी समिति कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है।

उक्त वाहन में वर्ष भर में कृत सभी यात्राओं को स्थानीय यात्राऐं ही मानते हुए पैट्रोल खपत की गणना की जाए तो भी वर्ष भर में यथा गणना परिशिष्ट ''ञ'' उक्त वाहन में ₹9,738.71/– की राशि के पैट्रोल का दुरूपयोग हुआ है जिसकी वसूली सामान्य प्रषासन विभाग के उपरोक्त पत्र द्वारा जारी अनुदेषों के दृष्टिगत सम्बन्धित चालक से की जानी अपेक्षित है। अतः अपेक्षित कार्रवाई से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

23 fgekpy in'k ljdkj dh iol vuefr d fcuk vfu;fer rkj ij okgu dk dk;kf/kdkj {k= l ckgj y tku d lUnHk e %&

मण्डी समिति के वाहन संख्या एच0पी0–52(ए)–0511 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि यथा संलग्न परिशिष्ट ''झ'' के अनुसार वाहन द्वारा कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर की यात्रा की गई है। परन्तु सक्षम अधिकारी की अनुमति/कार्योत्तर स्वीकृति अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है जिसे अब प्राप्त करके सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

24 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन कालावधि 4/74 से 3/83 से लेकर 4/07 से 3/08 तक के अनिर्णीत अनुच्छेदों की स्थिति प्रतिवेदन के भाग–3 अनुलग्नक–''सी'' में दर्षाई गई है, जिसे प्रतिवेदन के साथ संलग्न भाग 4(क) अनुलग्नक डी–1 के साथ पढ़ा जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन के भाग 4(ख) अनुलग्नक डी–2 के अनुसार अनेकानेक अंकेक्षण अधियाचनाऐं भी निपटारे हेतु लम्बित है। संस्था द्वारा उक्त शामिल अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु निष्ठापूर्वक कार्रवाई न करके स्थिति यथावत बनी हुई है जिस कारण आपत्तियों के संचय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जो निष्चित ही चिन्ताजनक स्थिति है। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन के भाग–5 (अनुलग्नक–ई) के अनुसार अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण के बार–बार आग्रह के बावजूद आवष्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। अतः विपणन बोर्ड एवं विपणन समिति के प्राधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि विपणन समिति की समस्त अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु सषक्तता से कार्रवाई करके अनुपालना अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

25 ₹47]583@&dh fofHkUu fcyk e LFky ij dh xbl dVkSrh ckj %&

निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की वर्ष 2009–10 में जाँच पड़ताल करने पर ही कटौती करवा दी गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों को सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें व आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ बनाऐं ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके।

26 e[; cpr [kkr d vfrfjDr vU; oká cpr [kkrk e vuko';d :i l vf/kd jkf'k j[ku ij C;kt dh {kfr %&

अभिलेख की संवीक्षा पर पाया गया की मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातों में परिषिष्ट ''ड'' के अनुसार दिनांक 31.03.10 को ₹49,49,991/–की राषि पड़ी थी। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि बचत खातों में बजट प्रावधानानुसार ही आवष्यकतानुसार राषि रख कर शेष राषि को संचित रूप में सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेष किया जाए ताकि इस पर अधिकतम ब्याज दर प्राप्त करके विपणन समिति की आय को बढ़ावा मिल सके

अन्यथा उक्त प्रकार बचत खाते में अधिक राषि रखने पर निष्चित रूप से ब्याज की हानि होना स्वाभाविक है, जिसका भविष्य हेतु निष्चित तौर पर परिहार करें व संपरीक्षा सुझाव की निष्ठापूर्वक अनुपालना सुनिष्चित की जाए।

27 fu"d"kZ %&

मण्डी समिति षिमला व किन्नौर ढली, षिमला–12 के लेखों का रख–रखाव असन्तोष जनक है, लेकिन गत वर्षों की तुलना मे काफी सुधार भी देखने में आया है। लेखों के रखरखाव में जितना सुधार अपेक्षित है उसके अनुसार यह सुधार नाकाफी है जैसे कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरणिकाऐं भी नहीं बनाई जाती है और बैंक खातों का नियमानुसार मिलान भी नहीं किया जा रहा है। पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में गतिषीलता नगण्य है व अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत करना भी स्वेच्छा पर निर्भर है जिस कारण जहाँ अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है, वहीं अंकेक्षण प्रतिवदेन को तैयार करने में भी विलम्ब होता हैं।

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति व अन्य अभिलेख/सूचनाऐं अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इन सूचनाओं का उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में नहीं हो सका। अन्ततः निष्कर्ष यह है कि मण्डी समिति का रिपोर्ट अवधि का लेखा जोखा कार्य असन्तोष जनक है जिसमें सुधार की अतयन्त आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kkbZ½